



कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक— 482 /FP/UK/ROAD/43777/2020: देहरादून: दिनांक: 8 सितम्बर 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट में रीठा रैतोली से भुवानी मोटर मार्ग लम्बाई 5.00 कि०मी० के निर्माण हेतु 1.89 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के संबंध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/09/2021/एफ०सी०/2500, दिनांक:-22.03.2021 ।

महोदय,


भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार के द्वारा विषयांकित प्रकरण पर 03 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है। जिसकी पूर्ण सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक-23.08.2023 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है। सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की गयी है:-

क्र.सं	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no. 03.State Govt. has submitted that the DFO has informed that work has been started State Govt. may submit the violation report and action taken report in this regard.	प्रस्तावित मोटर मार्ग में वर्तमान में कोई भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। पूर्व में प्रेषित आख्या के बिन्दु सं० 03 में जिस निर्मित मार्ग का उल्लेख है, वह अन्य मार्ग है, जो कि जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ के आदेश सं० 395/सात-8/2017-18 दिनांक-29.11.2017 द्वारा लोक निर्माण विभाग को रीठा रैतोली से भुवानी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु हस्तांतरित की गयी है।(संलग्न-01)
2	In reply to point no.2&3 following observations noticed in muck disposal plan.	
(a)	Carrying capacity of each muck dumping site has not been mentioned.State Government may submit the muck disposal plan mentioning the carrying capacity of each muck disposal site.	प्रस्तावक विभाग द्वारा संशोधित मलवा निस्तारण योजना तैयार कर प्रत्येक यार्ड की अलग अलग क्षमता अंकित कर यथा स्थान अपलोड कर दी गयी है।(संलग्न-02)
(b)	DFO mentioned that proposed area having steep slope thus 7500 cum muck generation in length of 1 KM appears less. State Government may review the same and submit the correct information.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण योजना पुनः संशोधित कर अपलोड की गयी है।
(c)	Swell factor also included in muck to be utilized. State Government may submit clarification in this regard.	मलवा निस्तारण योजना में Swell factor सम्मिलित किया गया है।
(d)	It is seen that no site chosen between 3-5 km length. State Government may submit clarification in this regard.	मोटर मार्ग के किमी० 3-5 में मलवा निस्तारण स्थल चयनित कर सूचना यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
(e)	Muck dumping sites are not marked I KML file. State Government may upload the KML file of the proposal showing the location of the disposal sites.	मोटर मार्ग की के०एम०एल० में मलवा निस्तारण स्थल चिह्नित कर दिये गये है तथा संशोधित के०एम०एल० यथा स्थान अपलोड कर दी गयी है।

(f)	As per component wise breakup. Only 0.193 ha non-forest length selected for muck disposal which appears very less for 5 km length in steep slope area. State Government may submit clarification in this regard.	संशोधित मलवा निस्तारण योजना तैयार कर मोटर मार्ग के 05 किमी० लम्बाई में उत्सर्जित मलवे के लिए पर्याप्त स्थान चिन्हित कर लिए गये है।
(g)	State Govt. may submit revise muck disposal plan with detailed plan. Photograph of site. Scientific measures adopted and all other relevant details duly authenticated by DFO.	मलवा निस्तारण योजना प्रभागीय वनाधिकारी से सत्यापित कर अपलोड कर दी गयी है।
3.	In reply to point no 6 site inspection report of CA area uploaded in part-II but the date of site inspection report is not submitted. Therefore the State Govt. may submit the site inspection report with date and the photographs.	प्रस्ताव में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक सहित पार्ट-2 में अपलोड कर दी गयी है। उक्त निरीक्षण आख्या व फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित है।(संलग्नक-03)

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के०मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 482 / FP/UK/ROAD/43777/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग।


(आर०के०मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।